

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 12/बी-121/2015-16

: आदेश :

(आज दिनांक 09/12/2015 का पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 07.10.2015 को ग्राम आम्बुआ (पटेल फलिया) तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना में निम्नानुसार मृतक/घायल के वारिशान को आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क्र.	मृतक/घायल का नाम	वारिशान का नाम	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	केशव पिता बालकिशन निवासी मंगुरा जिला मथुरा (उ.प्र.)	श्रीमति मछलादेवी पति स्व. बालकिशन उर्फ बालू निवासी मंगुरा जिला मथुरा (उ.प्र.)	15,000/-
2	धमेन्द्र पिता महावीर निवासी निवासी मंगुरा जिला मथुरा (उ.प्र.)	धमेन्द्र पिता महावीर निवासी निवासी मंगुरा जिला मथुरा (उ.प्र.)	7,500/-
	कुल		22,500/-

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिशान को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 22,500/- (बावोस हजार पाँच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय हांगी; अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावे;

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/106/रीडर/2015

अलीराजपुर दिनांक 9/12/15

प्रतिलिपि:-

- 1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
- 2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
- 3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर
- 5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
- 6 संबंधित श्री/श्रीमति.....तहसील एवं जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर